न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 111/2019

उनवान

गोपाल बनाम गणेश

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0

–: आदेश :–

दिनांक :– 22.9.20

अधिवक्ता वादीगण/प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण ने माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955 सपठित धारा 131 राज0 भू राज0 अधि0 1956 का प्रस्तुत किया है जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा जवाब पेश किया जा चुका है। उक्त प्रकरण वादीगण ने मात्र नक्शा दुरूस्ती को अनुतोष हेतु पेश किया है। धारा 88 व 18 का अनुतोष नही चाहता है। अतः प्रकरण में बहस सुनकर शीघ्र निस्तारण किया जावे।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नही कर सीधी बहस करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। दौराने बहीस विद्धान अधिवक्ता प्रतिवादी ने एस0सी0 2003 पेज 174 से 178 की नजीर पेश की।

पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया। वादीगण ने उक्त वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955 सपठित धारा 131 राज0 भू राज0 अधि0 1956 का प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर वादीगण ने निवेदन किया है कि आराजी मुतनाजा के खातेदार वादीगण पूर्व मे ही दर्ज है। अतः उन्हे धारा 88, 188 के तहत अनुतोष नही चाहिये। अप्रार्थी/प्रतिवादी का कथन है कि वादी उक्त प्रार्थना पत्र से अनुतोष में संशोधन नही कर सकता है। अगर वादी नक्शा दुरूस्ती का ही अनुतोष चाहते है तो उन्हे नवीन प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिये। किन्तु न्यायालय इस तर्क से सहमत नही है। वादी उक्त प्रकरण में भूमि के पूर्व में ही खातेदार दर्ज है। उनका मुख्य अनुतोष मात्र नक्शा दुरूस्ती का है। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नजीर प्रकरण में चस्पा नही पायी जाती।

प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण में जवाब भी पेश किया जा चुका है। अनुतोष में संशोधन करने से प्रतिवादीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा।

अतः प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। वाद पत्र में धारा 88, 188 का अनुतोष तर्क किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.01.21 16:35:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 111/2019

उनवान

गोपाल बनाम गणेश

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0

–: आदेश :–

दिनांक :– 22.9.20

अधिवक्ता प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण ने माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955 सपठित धारा 131 राज0 भू राज0 अधि0 1956 का प्रस्तुत किया है। उक्त वाद कारण रहित है। वादीगण ने यह सष्ट नही किया है कि त्रुटि कब व कैसे हुयी। वादी का स्वयं का मानना है कि उक्त आराजी पर उसके कोई हक व अधिकार निहित नही है। तथा न्यायालय से खातेदारी चाही है। वादी द्वारा वाद कारण अंकित नही होने से वाद खारिज योग्य है।

अधिवक्ता वादीगण ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नही कर सीधी बहस करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया। वादीगण ने उक्त वाद की चरण संख्या 6 में दिनांक 31.08.19 को वाद कारण उत्पन होना अंकित किया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि आराजी मुतनाजा की नकल प्राप्त होने पर हाल इन्द्राज की जानकारी हुयी है। वाद कारण उत्पन्न होने अथवा नही होने के तथ्य का निर्णय तो प्रकरण के गुणावगुण द्वारा निस्तारण के पश्चात ही होगा। प्रारम्भिक स्तर पर आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत वाद खारिज किया जाना न्यायोचित नही है।

अतः प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वचयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला–अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.01.21 16:35:47 IST
Reason: SelfAttested